pan>

Title: Need to implement 'house against voluntary retirement scheme' for employee of Mumbai Port Trust.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्रथम श्रेणी के साथ-साथ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कामगारों के लिए 'स्वेच्छानिवृत्ति के बदले घर' की एक अत्यंत आकर्षक योजना बनायी गयी थी जिसे अव्यावहारिक तथा देश के अन्य बंदरगाहों पर कार्यरत कर्मचारयों को प्रभावित करने वाली बताकर केन्द्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा इसे लागू नहीं कए जाने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायकारी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के काम के स्वरूप को देखते हुए वीआरएस के माध्यम से कामगारों की छंटनी के लिए सितंबर, 2015 में वीआरएस के बदले घर दिये जाने की यह योजना बनायी गयी थी। इस योजना को लागू करने के लिए खर्च का आकलन करने के लिए बीपीटी के व्यवस्थापन ने पार्ट ट्रस्ट के वित्त विभाग को कहा था। उनका अभिप्राय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि जहाजरानी मंत्रालय ने इसे लागू नहीं कराने का निर्णय ले लिया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अच्छा और महंगा घर देने के लिए आकर्षित किया गया है। पोर्ट ट्रस्ट पर कार्यरत दस हजार कर्मचारियों में से सिर्फ आधे कर्मचारियों द्वारा ही वीआरएस लिए जाने की संभावना है। वर्षों से पोर्ट ट्रस्ट पर काम करने वालों के लिए यह एक लाभकारी और कल्याणकारी योजना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से यह नम्र अनुरोध है कि कृपया इस योजना को अवश्य लागू किया जाए जिससे वर्षों से अपना खून पसीना बहाने वाले बीपीटी कामगारों को तथा उनके परिवारों को समुचित लाभ मिल सके।

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Anandrao Adsul,

Shri Gajanan Kirtikar,

Shri Arvind Sawant,

Shri Shrirang Appa Barne are allowed to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.